

# वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

(जिला पंचायत कार्यालय)

पत्रांक- 679

/ जि0 पं0, हाजीपुर, दिनांक- 23/7/18

प्रेषक,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,

वैशाली।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,

जिला वैशाली।

**विषय-** गैर योजना मुख्य-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-001 निदेशन एवं प्रशासन उपशीर्ष-0003 जिला पंचायत की स्थापना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु राशि का उपावंटन।

महाशय,


उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अंतर्गत विभाग के पत्रांक-05(आ0) दिनांक-31.05.18 से प्राप्त आवंटन के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु उपवांटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 एवं 4201 दिनांक 12.04.2012 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. इस आवंटन से वित्तीय वर्ष 2018-19 में देय राशि का ही भुगतान किया जायगा, तथा किसी भी परिस्थिति में बकाये राशि का भुगतान नहीं किया जाए।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही की जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।
6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/ प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय। ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय। ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. उपावंटित राशि का व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या एन 2515000010003 है।

अनु०:- यथोक्त



विश्वासभाजन,

  
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,  
वैशाली।

ज्ञापक- /जि०पं०, हाजीपुर, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, हाजीपुर/उप कोषागार पदाधिकारी, महुआ एवं उप कोषागार पदाधिकारी, लालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, हाजीपुर, वैशाली को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि उपरोक्त आवंटन वैशाली के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

  
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,  
 वैशाली।


**वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर**  
**(जिला पंचायत कार्यालय)**

प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी/पंचायत सचिव एवं प्रखंड प्रमुख के आदेशपाल वेतनादि में वर्ष-2018-19 में व्यय हेतु राशि उपावंटित।

क्रमांक	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।	वेतन	महगाई भत्ता	मकान भत्ता	चिकित्सा भत्ता	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रखंड विकास पदाधिकारी, हाजीपुर।	1550000	108500	62000	70000	1790500
2	प्रखंड विकास पदाधिकारी, लालगंज	3000000	210000	120000	90000	3420000
3	प्रखंड विकास पदाधिकारी, महनार।	800000	56000	32000	36000	924000
4	प्रखंड विकास पदाधिकारी, पातेपुर।	4000000	280000	160000	90000	4530000
5	प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहदेई बुजुर्ग	1600000	112000	64000	48000	1824000
6	प्रखंड विकास पदाधिकारी, चेहराकला।	1000000	70000	40000	24000	1134000
7	प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिदुपुर	2500000	175000	50000	90000	2815000
8	प्रखंड विकास पदाधिकारी, देसरी।	800000	56000	32000	20000	908000
9	प्रखंड विकास पदाधिकारी, जन्दाहा।	4800000	336000	175000	90000	5401000
10	प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोरौल।	1500000	105000	30000	25000	1660000
11	प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजापाकर।	1500000	105000	30000	25000	1660000
12	प्रखंड विकास पदाधिकारी, राघोपुर।	1400000	98000	30000	25000	1553000
13	प्रखंड विकास पदाधिकारी, महुआ	1500000	105000	32000	28000	1665000
14	प्रखंड विकास पदाधिकारी, वैशाली।	1000000	70000	25000	20000	1115000
15	प्रखंड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर।	1500000	1050000	30000	34000	2614000
16	प्रखंड विकास पदाधिकारी, पटेढ़ी बेलसर	500000	35000	20000	12000	567000
कुल योग-		28950000	2971500	932000	727000	33580500

तीन करोड़ पैंतीस लाख अस्सी हजार पाँच सौ मात्र।

नोट :- मृत/सेवानिवृत्त कर्मों का बकाये वेतन भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करेंगे।

  
 जिला पंचायत राज पदाधिकारी,  
 वैशाली।